बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/आरोप (गया) 02–37/2024– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....................

श्री अविनाश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोधगया, गया के विरूद्ध समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–1859/रा0, दिनांक–04.07.2024 द्वारा भू–हदबंदी अधिनियम, 1961 की धारा–15 (a)(2) के अनुसार अधिशेष घोषित भूमि को पुराने खाता/खेसरा से मिलान एवं जाँच किये बिना नियमों की अनदेखी करते हुए दाखिल–खारिज वाद सं0–692/2023–24 को स्वीकृत करते हुए ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने संबंधी आरोपों के लिए विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त आरोप में प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पदाधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(a) के तहत विभागीय संकल्प सं0–1166(15), दिनांक–10.07.2024 द्वारा निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया।

3. समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–1859/रा0, दिनांक–04.07.2024 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–1273(15), दिनांक–26.07.2024 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–09.07.2024 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

4. समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–1989, दिनांक–15.07.2024 एवं पत्रांक–3770, दिनांक–01.11.2024 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध पूर्व से प्रेषित आरोप पत्र के अतिरिक्त अंचल कार्यालय, बोधगया के निरीक्षण के दौरान परिमार्जन के लगभग 4000 आवेदन लंबित पाये जाने एवं सेवानिवृत्त कर्मी से किसी वरीय पदाधिकारी के आदेश के बिना अवैध तरीके से कार्य किये जाने संबंधी आरोपों के लिए पूरक आरोप पत्र के आधार पर विभाग स्तर पर पूरक आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–85(15), दिनांक–24.01.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक– 21.02.2025 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

5. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में विभागीय पत्रांक–693(15), दिनांक–08.05.2025 द्वारा अपर समाहर्त्ता, गया से अभिलेखों के आधार पर जाँच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग की गयी।

6. आरोप पत्र एवं पूरक आरोप पत्र, आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण/पूरक स्पष्टीकरण तथा आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अपर समाहर्त्ता, गया से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के परिशीलन एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा भू–हदबंदी के तहत अधिशेष अधिग्रहित भूमि का दाखिल–खारिज स्वीकृत करने एवं जमाबंदी

कायम करने तथा अनाधिकृत रूप से सेवानिवृत्त कर्मी से कार्य लिये जाने तथा अपने कार्यों के प्रति उदासीनता बरती गयी है, जिसके लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को संचयी प्रभाव के बिना 01 (एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अविनाश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोधगया, गया सम्प्रति अंचल अधिकारी, डिहरी, रोहतास को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01 (एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–**15/आरोप (गया) 02–37/2024–** (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–....................

ई–मेल/निबंधित

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, गया को उनके पत्रांक–1859/रा0, दिनांक–04.07.2024 के प्रसंग में/कोषागार पदाधिकारी, गया एवं रोहतास/श्री अविनाश कुमार, अंचल अधिकारी, डिहरी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–**15/आरोप (गया) 02–37/2024–** 881 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–18.06.26

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

D:\ashish 2026\sankalp\Avinash kr_Bodh Gaya_संचयी प्रभाव के बिना 1.doc

4